

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या
16/02/2023

प्रवेश तिथि
03.02.2023

निर्णय दिनांक
03-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत
निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर निर्णय दिनांक 28.02.2022

उपस्थित:-

01- श्री दीपक मीना
02- श्री

-राजकीय अभिभाषक
-वकील अप्रार्थीगण

:-निर्णय:-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच /3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/917 दिनांक 28.02.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 170/0.74 है० किस्म बंजड में से 0.40 है०, वाके ग्राम धौलान तह० टहला जिला अलवर भूमि का आवंटी गिराज पुत्र श्योदान जाति मीना निवासी ग्राम धौलान तह० टहला जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 14.02.2023 को जवाब प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी का आवंटनशुदा आराजी पर बुजुर्गों के समय से ही कब्जा काशत करते चले आ रहा है।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई, अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /917 दिनांक 28.02.2022



2
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

के द्वारा नियम विरुद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक प0 12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ/टहला के प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत आवंटन/नियमन में अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपनी अभिशंषा अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहाकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ के द्वारा जारी विवादित आवंटन आदेश दिनांक 28.02.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटनी/अप्रार्थी आवंटित भूमि हल्का पटवारी एवं आई एल आर की आवंटन चैक लिस्ट में संवत् 2020 व संवत् 2012 में भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा अंकित है। जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.07.2003 के अनुसार पर्यावरण जलागमन क्षेत्र का पुनः स्थापन लोकहित वाद नदी की भूमि निर्माण आदि में प्रयुक्त नहीं की जा सकती है, गैर मुमकिन नला/पहाड/राडा भी उक्त प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में आती हैं। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है ग्राम धौलान उपवन संरक्षक बाघ परियोजना सरिस्का वन क्षेत्र में आती है। प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों व राजकीय भूमि के आवंटन नियम 1970 के अनुसार आदेश उसी ग्राम में या विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किये जाने चाहिए, जो नहीं किये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों पर प्राप्ति का समय व दिनांक अंकित नहीं है। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत




2-1
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

तामील हुई हो, इस बाबत् प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/917 दिनांक 28.02.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /917 दिनांक 28.02.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

गया।


(उत्तम सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

